न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 452/2025

श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री नेकीराम, ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राज0), पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 13.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 452/2025 पर दिनांक 28.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4735—736 दिनांक 28.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना भू—अभिलेख निरीक्षक, चूडी चतरपुरा की रिपोर्ट की छाया प्रतिलिपि इस कार्यालय के पत्र कमांक 1819 दिनांक 31.10.2025 को प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। बिन्दू सं0 2 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की छाया प्रतिलिपि पत्र के साथ प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना भू—अभिलेख निरीक्षक, चूडी चतरपुरा की रिपोर्ट की छाया प्रतिलिपि उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1819 दिनांक 31.10.2025 को प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। बिन्दू सं0 2 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की छाया प्रतिलिपि पत्र के साथ प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं